



भा.कृ.अ.प.-राष्ट्रीय उष्ट्र अनुसंधान केन्द्र
I.C.A.R. - NATIONAL RESEARCH CENTRE ON CAMEL
 पोस्ट बैग-07, जोड़बीड़, बीकानेर 334001(राज.)भारत
 Post Bag-07, Jorbeer, Bikaner 334001 (Raj.) India
 TAN Based - GST No. 08JDHN01654C1DI
 PAN Based - GST No. 08AAEAN8221D1ZS



फा. सं.: NRCC/ADM/P/I(09)P/GSF/2023-24

दिनांक: 13.06.2023

अल्पकालीन कोटेशन प्रपत्र सूची

- | | | |
|---|---|---------------------------------------|
| 1. भरे हुये कोटेशन प्रपत्र प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि | : | दिनांक 20.06.2023 प्रातः 11.00 बजे तक |
| 2. कोटेशन खोलने की अन्तिम तिथि | : | दिनांक 20.06.2023 दोपहर 1.00 बजे |
| 3. कोटेशन की मान्य अवधि | : | 120 दिन |

क्र.सं.	कार्य विवरण	अमानती राशि
1.	राष्ट्रीय उष्ट्र अनुसंधान केन्द्र, बीकानेर के फार्म एरिया में ग्वार व सरसों फसल हिस्सा पद्धति पर दिए जाने बाबत।	रु. 5,000.00

यह प्रमाणित किया जाता है कि मैंने कोटेशन में दर्शायी गई सभी नियम व शर्तें भली-भाँति पढ़ ली हैं तथा मुझे पूर्णरूप से स्वीकार है। मैं उपरोक्त दर्शाये गए कार्य को अनुबन्ध/ठेके के आधार पर सम्पन्न करवाने के लिये सहमत हूँ तथा मैं निदेशक, प्रभारी कृषि वानिकी इकाई या उनके प्रतिनिधि से समय-समय पर सम्पर्क करके उनके निर्देशानुसार अनुबन्ध कार्य करता रहूँगा। मैं अनुबन्ध कार्य में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करूँगा और केन्द्र के अधिकारियों/कर्मचारियों से कुशलता पूर्वक व्यवहार रखूँगा। यदि मेरे या प्रतिनिधियों द्वारा अनुबन्ध कार्य में किसी प्रकार का व्यवधान/हस्तक्षेप करने/या उनके द्वारा बताये जाने वाले कार्य को करने के लिये मना आदि करता हूँ तो मेरे द्वारा जमा करवाई जाने वाली अमानत/जमानत राशि को जब्त करके अनुबन्ध को निरस्त किया जा सकता है जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी मेरी होगी। साथ ही मैं यह भी वचन देता हूँ कि मुझे व मेरे प्रतिनिधि को उपरोक्त कोटेशन प्रपत्र में दर्शाये गये कार्यों का पूर्ण ज्ञान है।

यह भी वचन देता हूँ कि मैं भारत/राजस्थान सरकार के प्रचलित सभी श्रमिक नियमों का पूर्ण रूप से पालन करूँगा तथा मेरे द्वारा लगाये गये सभी प्रतिनिधियों की मजदूरी का भुगतान समय-समय पर निर्धारित दैनिक मजदूरी की दर से करूँगा।

यह मेरे/हमारे संज्ञान में भली-भाँति से है कि आपके द्वारा उपरोक्त कार्य हेतु प्राप्त निविदाओं में आप न्यूनतम अथवा किसी अन्य निविदाओं को स्वीकार करने हेतु बाध्य नहीं हैं एवं सक्षम अधिकारी द्वारा लिया गया निर्णय मुझे/हमें मान्य है। अनुबन्ध की अवधि समाप्त होने के उपरान्त मेरा व मेरे द्वारा लगाये गये प्रतिनिधियों का इस केन्द्र से जॉब कोन्ट्रैक्ट के अलावा कोई सम्बन्ध नहीं रहेगा और न ही मैं किसी प्रकार का केन्द्र के खिलाफ कोई कार्यवाही करूँगा।

दिनांक -----

हस्ताक्षर ठेकेदार/फर्म प्रतिनिधि मय सील
 पूरा पता
 टेलीफोन/मोबाईल नं.

**ICAR-NATIONAL RESEARCH CENTRE ON CAMEL
P.B. No.07, JORBEER, BIKANER.**

Tele : 0151 -2230858

Fax : 0151 -2231213

File No. NRCC/ADM/P/I(09)P/GSF/2023-2024

Dated: 13.06.2023

Note: All communications must be addressed to the Director, by designation, National Research Centre on Camel, Bikaner.

From,

The Director,
National Research Centre on Camel,
Bikaner.

To,

M/s.

.....

.....

.....

Dear Sirs,

On behalf of the Secretary I.C.A.R., New Delhi, tenders are invited for the award of following Agriculture works/contracts:

Sl. No.	Name of work of Contract	Period	अमानती राशि (EMD)
1.	राष्ट्रीय उष्ट्र अनुसंधान केन्द्र, बीकानेर के फार्म एरिया में ग्वार व सरसों फसल हिस्सा पद्धति पर दिए बाबत।	जून - 2023 से मई - 2025 तक	रु. 5,000.00

1. The conditions of the contract for which will govern any contract made are those contained in the general conditions of contract applicable to the contracts pleased by the I.C.A.R. and by the Research Institutes of the Council and the special terms and conditions detailed in the tender forms and its schedules. Please submit your tender if you are in a position to complete the requisite work in accordance with the requirements stated in the attached schedule.
2. The Earnest Money as mentioned above in the general information and other terms and conditions of the contract must be deposited in the shape of Demand Draft/FDR in favour of "**ICAR UNIT- NRCC, Bikaner**" drawn on State Bank of India, Sadul Ganj Branch, Bikaner (Rajasthan) and the relevant DD/FDR must accompany the tender. The Earnest Money should not on any account fall short of the amount actually required. The tender may not be considered if the D.D./F.D.R of Earnest Money is not attached with the Tender. The tenders is being permitted to tender the consideration of the stipulations of his part that after submitting his tender he will not resale this form/his offer or modify the terms and conditions thereof. Should the tender fail to observe and comply with the foregoing stipulations, the Council/Centre will forfeit the amount of Earnest Money if any demanded before placing of contract Order. In the event of the offer made by the tender not being accepted, the amount

of E. Money deposited by the tender will be refunded to him after he has applied for the same, in the manner prescribed by the Council/Centre.

3. The tender is liable to be ignored if complete information as required is not given therein. If he particularly asked for in the schedules to the tender or other documents connected with the contract/tender may specify whether he signs it in the capacity of (i) a sole proprietor (ii) a partner of the firm. If it be a partnership whether by virtue of the partnership, in which case he must have authority to refer to arbitration dispute concerning the business of the partnership whether by virtue of the partnership agreement of power of attorney, or (iii) Constituted attorney of the firm if it is a comply.
4. In case of partnership firms where no authority to refer disputes concerning the business of the partnership has been concerned on any partner, the tender and all other related documents must be signed by every partner of the firm. A person signing the tender form or any other documents forming part of the contract on behalf of another shall be deemed to warranty that he has authority to bind such other and if, on inquiry it appears that the person so signing has no authority to do so, the Council/Centre shall without prejudice to other civil and criminal remedies cancel the contract and hold the signatory liable for all costs and damages. Each page of the tender and the schedules to the tender and annexure, if any, should be signed by the tenderer(s).
5. The original copy of the tender is to be enclosed in double cover and the inner cover should be sealed and superscribed as "**Tender for farming of Guar and Musterd on share basis**". The outer cover should bear only the address of this office without any indication that there is tender within. Right is reserved to reject all or any tender without assigning any reason.
6. The eligible Bidder(s) who are registered with NSIC/MSME and is having valid NSIC/MSME Certificate for exemption of EMD (Bid Security) for above work shall be exempted to pay EMD (Bid Security) of above online bid on submission of a copy of valid NSIC/MSME Certificate on or before 20.06.2023 upto 11.00 Hrs.
7. You are at liberty to be present or to authorise a representative to be present at the opening of the tender on 20.06.2023 at 1.00 **PM** which may please be mentioned in the tender documents. Please also state the name and address of your permanent representative if any.
8. The Council/Centre does not pledge itself to accept the lowest or any tender and also reserves to itself the right of accepting the whole or any part of the tender or portion of the tender. You are, however, at liberty to tender for the whole or any portion or to state in the tender that the share quoted shall apply only if the tender is considered fully.
9. Acceptance by the Council/Centre will be communicated by e-mail, letter or any other form of communication. Formal letter or acceptance of the tender will be forwarded as soon as possible, but the earlier instructions in the e-mail/letter etc. should be acted upon immediately.
10. In case of any dispute arising in respect of the said tender, the dispute will be solved through arbitration and the tenderer will have to go by the decision of the Arbitrator. The Arbitrator will be appointed by the Secretary/Director General, ICAR, New Delhi. Further, the tenderer will have to agree to the settlement of disputes through such arbitration and they will have to bind their selves/themselves to go by the decision of the arbitrator.
11. The selected agency shall execute the job of above work within the period specified in the work order.

12. The selected agency shall render the Agricultural work as per the instructions of the Centre. If work rendered by them is not satisfactory the contract will be terminated immediately, by the Centre.
13. The selected Agency/contractor will have to make an agreement on the non-judicial stamp paper worth Rs. 1000.00 in favour of **The Director, ICAR- National Research Centre on Camel, Bikaner**, and shall have to deposit security money of Rs 10,000.00 within 7 days from the date of receipt of communication regarding acceptance of the tender and thereafter, only the work order/contract for the works/services will be awarded. The Security money should be in the form of DD/FDR in favour of **ICAR Unit-NRCC, Bikaner**. The amount of Security money Rs. **10,000/-** is refundable after satisfactory completion of the job , but in case the contractor fails to abide by the terms and conditions of the contract, the same is liable to be forfeited and the work of the ordered will be made from other sources at the cost and risk of the Contractor/Agency. The expenditure which the Centre will have to incur in doing so, will be recovered from the agency/contractor from his share and any other payments due to him. If the same will fall short of the amount to be recovered the same will have to be deposited by the contractor.
14. The Agency / Contractor shall submit the details of any litigation current or during the last 3 years in which the contractor is involved, the penalties concerned and disputed amount in each case.
15. Any agricultural implements or inventory in the Farm area allotted for contractual farming will be the responsibility of Contract- Awardee.
16. All disputes will be subject to Bikaner Jurisdiction.

निविदा दाता के हस्ताक्षर/मोहर

GENERAL INFORMATION AND OTHER TERMS AND CONDITIONS OF THIS CONTRACT**ठेका हिस्सेदारी की आवश्यक नियम व शर्तें****भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्
राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र बीकानेर**

राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र बीकानेर फार्म एरिया में ग्वार व सरसों फसल हिस्सा पद्धति पर दिए जाने बाबत।

वित्तीय निविदा पृष्ठ संख्या 7 पर है जिसे अलग लिफाफे में भरकर प्रस्तुत करना है

क्र.स.	भूमि का विवरण	बोई जाने वाली फसल/चारागाह	दाना/बीज में केंद्र का हिस्सा (प्रतिशत)	चारे में केंद्र का हिस्सा (प्रतिशत)	दाना/बीज में एजेंसी का हिस्सा (प्रतिशत)	चारे में एजेंसी का हिस्सा (प्रतिशत)
1.	लगभग 10 हैक्टेयर एरिया न.1	ग्वार व सरसों		शत प्रतिशत		Nil

ठेका नियम व शर्तें :- वर्ष 2023 से 2025 तक।

1. हिस्सा पद्धति पर ग्वार एवं सरसों फसल हेतु केंद्र द्वारा उक्त भूमि दिया जाना प्रस्तावित है, जिसमें फर्म/एजेंसी द्वारा केंद्र को ग्वार एवं सरसों फसल का पूरा (शत-प्रतिशत), गुना देना होगा। दाने में से कितना हिस्सा केंद्र का होगा व कितना हिस्सा एजेंसी का होगा ? कोटेशन (निविदा) में फार्म को इसका स्पष्ट उल्लेख करना होगा। दाने में से अधिक से अधिक हिस्सा देने वाली फार्म को ठेका दिया जायेगा।
2. दोनों फसलों के लिए फर्म/एजेंसी को केंद्र द्वारा केवल भूमि उपलब्ध करवाई जायेगी, भूमि के अलावा केंद्र में उष्ण खाद उपलब्धता के आधार पर निशुल्क दी जायेगी। 2-3 पानी व फवारा सिस्टम उपलब्धता के आधार एवं life saving irrigation के लिए, दिए जा सकते हैं। सिंचाई के लिए केंद्र बाध्य नहीं होगा।
3. दोनों फसलों के लिए ट्रैक्टर से जमीन तैयार करना, बीज, बिजाई कार्य, फर्टीलाइजर, फसल को बीमारियों से बचाने के लिए दवाई (पेस्टीसाइड), फसलों से खरपतवार निकालना, पकने पर फसल की कटाई करना, इकट्ठा करना, थ्रेसर से चारा दाना अलग करना, आवारा जानवरों व जंगली जानवरों से फसल की सुरक्षा करना, थ्रेसिंग के उपरांत केंद्र के हिस्से का चारा-दाना गोदाम तक पहुँचाना, उक्त सभी कार्य फार्म को अपने स्तर पर स्वयं के साधनों से ही पूर्ण करने होंगे।
4. बिन्दु संख्या 3 के सभी कार्य उपरांत फसल का दाना-चारा केंद्र निदेशक द्वारा गठित समिति के समक्ष तुलनाकर केंद्र के हिस्से का दाना चारा भंडार तक एजेंसी को अपने स्तर पर स्वयं के साधनों से पहुँचाना होगा।
5. फसलों के क्षेत्रफल में कम से कम 10 प्रतिशत क्षेत्रफल अनुसंधान कार्यों के लिये आरक्षित रखा जायेगा जिसकी सुरक्षा की जिम्मेवारी भी फर्म की होगी।
6. ठेका उसी फर्म को दिया जायेगा जो दोनों फसल (ग्वार-सरसों) से अधिक से अधिक दाने का हिस्सा केंद्र का देगा।
7. यह ठेका अनुबंधन आगामी 2 वर्ष के लिए होगा। कार्य संतोषजनक पाये जाने पर अनुबंध 1 वर्ष तक ओर बढ़ाया जा सकता है।
8. एजेंसी/ठेकेदार की मशीन अथवा उनके व्यक्तियों द्वारा केंद्र की किसी भी चल-अचल सम्पत्ति को कोई क्षति होने पर अविलम्ब क्षतिपूर्ति एजेंसी को करनी होगी अन्यथा उनकी धरोहर राशि में काटी जायेगी।

9. समस्त कार्य ठेके की अवधि में संतोषजनक होना आवश्यक होगा तथा इस बाबत केन्द्र के सक्षम अधिकारी व प्रभारी कृषि वानिकी के दिशा-निर्देश मानने होंगे। किसी भी प्रकार की लापरवाही पर एजेंसी की जमा धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी तथा ठेका तुरंत प्रभाव से निरस्त कर दिया जायेगा जो की एजेंसी को मान्य होगा।
10. फसल की सुरक्षा की पूर्ण जिम्मेवारी एजेंसी की होगी। फसल आवारा पशुओं, जंगली जानवरों आदि से नुकसान से बचाने की जिम्मेवारी एजेंसी की होगी तथा फसल को किसी नुकसान की अवस्था में केन्द्र के हिस्से की भरपाई के लिए एजेंसी जिम्मेवार होगी। आवश्यकता पड़ने पर इसका निर्धारण केन्द्र निदेशक द्वारा गठित समिति के माध्यम से किया जायेगा, वो एजेंसी को मान्य होगा।
11. जहाँ पर फैंसिंग कमजोर है, उन जगहों पर बाड़/कांटे लगाकर आवारा पशुओं से फसल को सुरक्षित करना फर्म की जिम्मेवारी होगी।
12. फर्म को फसल की बुवाई फैंसिंग से 20 फिट छोड़कर करनी होगी। जिससे सुरक्षा के लिए गश्त करने में आसानी रहेगी।
13. अनुबंध कार्य के दौरान किसी प्रकार का श्रमिक दुर्घटना व अन्य दुर्घटना होने पर एजेंसी अथवा उनके प्रतिनिधि स्वयं जिम्मेवार होंगे। सभी प्रकार की कार्यवाही उन्हें स्वयं के खर्चे पर करनी होगी। केन्द्र द्वारा किसी प्रकार की सहायता या सुविधा नहीं की जायेगी।
14. अनुबंध के अन्तर्गत फर्म द्वारा लगाए जाने वाले श्रमिकों को केन्द्र सरकार द्वारा पारिश्रमिक व अन्य श्रमिक नियमों की अनुपालना संबंधित एजेंसी को स्वयं के स्तर पर करनी होगी। केन्द्र की इसमें कोई भूमिका नहीं होगी।
15. हिस्सा पद्धति के अंतर्गत इस अनुबंध में संबंधित ठेकेदार/फर्म को यदि कोई नुकसान पहुँचाता है तो उसके लिए वह स्वयं उत्तरदायी होगा व केन्द्र किसी प्रकार से भरपाई नहीं करेगा।
16. अनुबंध के अंतर्गत उपरोक्त इंगित कार्य संतोषजनक ढंग से तथा समय पर पूर्ण करने का पूर्ण उत्तरदायी फर्म कर होगा तथा कार्य असंतोषजनक या अधूरा रहने पर अनुबंध निरस्त करने, धरोहर राशि जब्त करने सहित अन्य कार्यवाही हेतु केन्द्र स्वतंत्र होगा।
17. सक्षम अधिकारी के पास फसल का क्षेत्रफल कम या अधिक करने, ठेके की अवधि घटाने या बढ़ाने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
18. अनुबंध के अंतर्गत आबंटित फार्म एरिया में केन्द्र के किसी भी प्रकार के कृषि उपकरण अथवा संपत्ति/सामान का नुकसान होने पर इसकी भरपाई की जिम्मेदारी अनुबंधित फर्म की होगी।
19. किसी भी प्रकार के विवाद पर आरबीट्रेटर केन्द्र के मुख्यालय द्वारा नियुक्त किया जायेगा तथा आरबीट्रेटर द्वारा लिया गया निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा।
20. ठेका स्वीकृत/अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार केन्द्र के निदेशक, भाकृअनुप. - राष्ट्रीय उष्ट्र अनुसंधान केन्द्र, बीकानेर के पास सुरक्षित रहेगा।

निविदा दाता के हस्ताक्षर/मोहर
 मोबाइल नम्बर.....
 पता.....

वित्तीय निविदा
अलग लिफाफे में भरकर दी जानी है

क्र.सं.	भूमि का विवरण	बोई जाने वाली फसल/चारागाह	दाना/बीज में केन्द्र का हिस्सा (प्रतिशत)	चरे में केन्द्र का हिस्सा (प्रतिशत)	दाना/बीज में एजेंसी का हिस्सा (प्रतिशत)	चारे में एजेंसी का हिस्सा (प्रतिशत)
1.	लगभग 10 हैक्टेयर एरिया नं. 01	ग्वार व सरसों		शत प्रतिशत		Nil

निविदा दाता के हस्ताक्षर/मोहर
मोबाइल नम्बर.....
पता.....
.....
.....